**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 8341/2025

Ravindra Saini S/o Ram Charan Saini, Aged About 29 Years, R/o Amolak Nagar Pali, Mahuwa, District Dausa, Rajasthan.

----Accused-Petitioner

Versus

1. The State Of Rajasthan, Through P.P.

----Non-Petitioner

2. Aashish Kumar Gurjar S/o Ram Singh, Aged About 29 Years, R/o Fireman, Nagarpalika Mahwa, District Mahuwa, District Dausa, Rajasthan.

----Complainant-Non-Petitioner

---

For Petitioner(s) : Mr. Kapil Bhardwaj, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Vijay Singh Yadav, Addl. GA.
For Complainant(s) : None

---

**HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL**

**Order**

**23/02/2026**

**1** याची–अभियुक्त की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा **528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **543/2025** पुलिस थाना– **महवा,** जिला– **दौसा,** अपराध अंतर्गत धारा **303(2) भारतीय न्याय संहिता** को रद्द एवं अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है, साथ ही **स्थगन प्रार्थना पत्र** प्रस्तुत किया गया है।

**2** तीन सप्ताह की वापसी के साथ अयाचीगण को नोटिस जारी किए जावें, विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता अयाची संख्या–01 की ओर से नोटिस स्वीकार करते है।

**3** विद्वान् अधिवक्ता याची–अभियुक्त का तर्क है कि प्रस्तुत मामले में याची–अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 543/2025 दर्ज कराई गई है, उनका कथन है कि याची–अभियुक्त ना तो नगर पालिका महवा में कार्यरत है और ना ही

उसके द्वारा नगर पालिका की किसी प्रकार की कोई फाईल चोरी की गई है एवं ना ही उसके द्वारा उन्हें यतेश के घर के बार पटका गया है, उनका कथन है कि याची–अभियुक्त अन्वेषण में भाग लेने के लिए तैयार एवं तत्पर है, पुलिस उसे जबरन गिरफ्तार करने पर आमादा है, अतः याची–अभियुक्त को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जावे।

**4** विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने याची–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अंतरिम सुरक्षा प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध करते हुए उसे अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

**5** मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

**6** हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों आदि को दृष्टिगत रखते हुए याची–अभियुक्त को न्यायहित में आदेश दिया जाता है कि यदि वह दिनांक **10.03.2026** को या उससे पूर्व अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में भाग ले तो उसके विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **543/2025** के संदर्भ में आगामी तिथि तक कोई बलपूर्वक कार्यवाही (**No Coercive Action**) नहीं की जावे, याची–अभियुक्त के उक्त तिथि तक अनुसंधान हेतु उपस्थित नहीं होने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

**7** अनुसंधान अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान कर आगामी तिथि पर प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे।

**8** प्रकरण **3 सप्ताह** पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

**(BHUWAN GOYAL),J**